



दूरभाष नं० - 05222716560

ई-मेल - cao@upfc.in

# उत्तर प्रदेश वन निगम

## कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 21/, इन्दिरानगर, लखनऊ 226016

पत्रांक ए-8490/फण्ड विनियोजन/2025-26/दि 12.02.2026 (102.0207425 करोड़)/दिनांक फरवरी 11 2026

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

.....

.....

लखनऊ ।

विषय:- उ०प्र० वन निगम के फण्ड को सावधि जमा योजना के अंतर्गत निवेशित किये जाने के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

अवगत कराना है कि उ०प्र० वन निगम के निम्नांकित जमा धन को सावधि जमा योजना के अंतर्गत उच्चतम ब्याज दर पर नॉनकॉलेबल श्रेणी में 01 वर्ष तथा विशिष्ट अवधि हेतु निवेश किया जाना है जिसे हेतु आपकी शाखा से निम्नलिखित तालिका के अनुसार निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अंतर्गत उच्चतम ब्याज दर पर संलग्न प्रारूप में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं :-

| क्र०सं०                                                    | बैंको से प्रस्ताव प्राप्त करने की तिथि,दिन एवं समय             | बैंको से प्राप्त प्रस्तावों को खोलने की तिथि, दिन एवं समय | बैंको को फण्ड उपलब्ध करवाने की तिथि एवं दिन | विनियोजन हेतु धनराशि |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                          | 2                                                              | 3                                                         | 4                                           | 5                    |
| 1                                                          | 12.02.2026, गुरुवार पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 3.45 बजे तक | 12.02.2026 गुरुवार अपरान्ह 4.00 बजे                       | 13.02.2026 (शुक्रवार)                       | 102,02,07,425.00     |
| (रूपया एक सौ दो करोड़ दो लाख सात हजार चार सौ पच्चीस मात्र) |                                                                |                                                           |                                             |                      |

शर्त/प्रतिबन्ध निम्नानुसार है :-

- उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 05 पर वर्णित धनराशि हेतु ब्याज दर का प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम के नाम से संबोधित बंद लिफाफे में उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 02 पर उल्लिखित तिथियों एवं समय पर मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता, उ०प्र० वन निगम, सेक्टर 21/475, इन्दिरा नगर, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में रखे मोहर बंद बॉक्स में डाले जायेंगे जो कि उसी दिन उक्त तालिका के स्तम्भ 03 पर उल्लिखित तिथि एवं समय पर उ०प्र० वन निगम के सभाकक्ष में उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों के सम्मुख उ०प्र० वन निगम के फण्ड विनियोजन समिति द्वारा खोला जायेगा ।
- उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 05 पर उल्लिखित निवेश की जाने वाली उक्त धनराशि में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है ।

.....क०प०उ०.....

- यदि किसी विशिष्ट अवधि हेतु ब्याज दरें उच्चतम हो तो उसे भी अपने प्रस्ताव में अंकित करे ताकि उस पर विचार किया जा सके ।
- एफ0डी0आर0 के प्री मैच्योर भुगतान लेने पर कोई अर्थदण्ड न लिये जाने वाले बैंकों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
- आप अथवा आपके बैंक के प्रतिनिधि अपने कार्यालय की मोहर एवं पैड के साथ उक्त तालिका के स्तम्भ 03 पर उल्लिखित तिथि एवं समय पर उ0प्र0 वन निगम के सभाकक्ष में उपस्थित रहेंगे ।
- उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 वन निगम आयकर से पूर्णतया मुक्त है । अतएव जमा धन के ब्याज पर किसी भी प्रकार के टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जायेगी ।
- यद्यपि अतिविशेष परिस्थितियों में परिपक्वता अवधि से पूर्व भी धनराशि की मांग उ0प्र0 वन निगम द्वारा की जा सकती है ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा कोई भी अर्थदण्ड नहीं लिया जायेगा ।
- समस्त टी0डी0आर0 **Managing Director, U.P. Forest Corporation** के पदनाम से बनाये जायेंगे ।
- उच्चतम ब्याज दरें समान होने की दशा में एक अथवा एक से अधिक बैंकों को धनराशि एफ0डी0आर0 बनाये जाने हेतु दी जा सकती है ।
- प्रस्तावित ब्याज दरें फण्ड उपलब्ध कराने की तिथि (उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 04 पर उल्लिखित तिथि) तक मान्य रहेंगी । जिस तिथि को फण्ड उपलब्ध करायी जायेगी उसी तिथि से एफ0डी0आर0 निर्गत की जायेगी ।
- उपरोक्त फण्ड विनियोजन हेतु प्रस्ताव में दर्शित ब्याज दर अन्तिम होगी तथा प्रस्ताव के अनुसार ही एफ0डी0आर0 निर्गत की जायेगी इसमें किसी किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होगी ।
- इस कार्यालय द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रस्ताव प्रेषित न किये जाने की दशा में प्रस्ताव अस्वीकार्य कर दिया जायेगा ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम द्वारा किसी भी समय प्रश्नगत विनियोजन को निरस्त/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा ।
- सम्पूर्ण विनियोजन में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,



(संतोष कुमार)

मुख्य लेखाधिकारी

एवं

वित्तीय परामर्शदाता

## प्रारूप

निवेश की धनराशि रु0 .....प्रस्ताव की तिथि .....फण्ड उपलब्ध होने की तिथि.....

1-निम्नानुसार निर्धारित अवधि हेतु ब्याज दरे :-

| अवधि         | श्रेणी    | रु0 50.00 करोड़ से रु0 100.00 करोड़ तक | प्री मैच्योर पेनाल्टी यदि कोई हो तो उसको अवश्य अंकित करे |
|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.           | 2.        | 3.                                     | 4.                                                       |
| 01 वर्ष      | नॉनकॉलेबल |                                        |                                                          |
| विशिष्ट अवधि | नॉनकॉलेबल |                                        |                                                          |

- प्री मैच्योर भुगतान लेने पर कोई अर्थदण्ड(पेनाल्टी) न लेने वाले बैंक को प्राथमिकता दी जायेगी ।
- उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव न होने पर उसे निरस्त कर दिया जायेगा ।
- परिपक्वता अवधि से पूर्व भुगतान लेने पर क्या शर्तें होगी ?
- यदि किसी विशेष अवधि हेतु ब्याज दरें उच्चतम हो तो उसे प्रस्ताव में अवश्य उल्लिखित करे ताकि उस पर विचार किया जा सके ।
- क्या प्री मैच्योर भुगतान लेने पर ब्याज दर में कोई कटौती होगी अथवा नहीं, स्पष्ट उल्लेख किया जाये ।
- यदि आपके प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त यदि एफ0डी0आर0 बनाते समय आप द्वारा कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वह मान्य नहीं होगी एवं आपका प्रस्ताव अमान्य कर दिया जायेगा तथा भविष्य में भी होने वाले उ0प्र0 वन निगम के फण्ड विनियोजन हेतु मांगे जाने वाले प्रस्तावों से आपको निष्कासित एवं आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
- प्रस्ताव पर बैंक की मोहर एवं प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव मोहर बंद बाक्श में डाले जायेंगे ।
- फण्ड हस्तान्तरण हेतु निम्नलिखित सूचनाएं अवश्य अंकित करे :-

|   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | NAME OF BENEFICIARY             | - |  |
| 2 | A/C No.                         | - |  |
| 3 | TYPE OF A/C No.                 | - |  |
| 4 | IFSC CODE No.                   | - |  |
| 5 | NAME OF BANK & ADDRESS          | - |  |
| 6 | MOBILE No. OF BRANCH MANAGER    | - |  |
| 7 | BASIC PHONE NO. MANAGER/ BRANCH | - |  |
| 8 | E-MAIL ADDRESS                  | - |  |